बंगाल में ऊर्जा के पुनः प्राप्त स्रोतों हेतु, राज्य सरकार की नोड एजेन्सी के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दुर्गादुनेई ज्वारीय ऊर्जा परियोजना से प्राप्त अनुभव देश में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के आगे और विकास में सहायक होगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

3299. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1998के "राष्ट्रीय सहारा" में "रिश्वत मामले में अपने अफसर को छोड़ दिया सी.बी.आई. ने" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों मेम भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके परिणामस्वरुप सूचना मिलने पर भी वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में एक जांच करने के बाद संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है अथवा कार्रवाई करेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा मंत्रालय में राज्य मंत्री) श्री आर.जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। समाचार की विषय वस्तु, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के मामला संख्या आर.सी.23(ए)/95डी.एल.आई. से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्त से शिकायत प्राप्त होने पर व्यापक जांच-पड़ताल की गई। जांच करने पर, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के किसी भी कार्मिक के इस मामले में संलिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

(**क**) जी, नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के कार्मिकों से संबंधित प्रत्येक शिकायत की व्यापक जांच-पड़ताल की गई है और कठोर कार्रवाई की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के कार्मिकों के विरुद्ध ऐसे अपराधों से संबंधित कार्रवाई के परिणाम स्वरुप 2 कार्मिक बरखास्त कर दिए गए हैं, दो अन्य की वेतन वृद्धि रोक दी गई है और एक कार्मिक का ओहदा घटा दिया गया है।

(**ख**) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

Pension-Related matters on the internet

3300. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Department of Pensions and Pensioners' Welfare are planning to update their information system by putting all pension-related matters on the Internet;

(b) if so, the details of the speeifie informatioivfacilitics that would be made available on the Internet; and

(c) the present status of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) There is a proposal, presently in the development phase, to provide through Internet relevant information on pension-related matters sueh as guidelines and orders relating to sanction of pension to civilian employees.

नौकरशीही की जिम्मेदारी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3301. **श्री अनन्तराय देवशंकर दूवे**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने की गई कार्रवाई अथवा लिए गए निर्णय के परिणाम को जानने हेतु "न्यायिक समीक्षा" में सक्षम न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जिम्मेदारी से संबंधित एक मामले को निपटाते हुए 13 फरवरी, 1997 को यह निर्णय दिया कि इस कार्रवाई के लिए अंततोगत्वा विभागाध्यक्ष/नामनिर्दिष्ट अधिकारी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?